



2026:AHC:49812

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 2810 वर्ष 2026

तारा सिंह और 64 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिवेंद्र कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यशपाल यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री हिमकन्या श्रीवास्तव को सुना।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता जो राज्य पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे अपनी 19 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेतन में एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह मांग इस न्यायालय द्वारा 'घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330/2012) मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में की गई है। उक्त निर्णय का अनुसरण 'वीरेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य' (रिट-ए संख्या 48601/2015) मामले में दिए गए निर्णय में किया गया था जिसके विरुद्ध दायर विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) संख्या 538/2016 को दिनांक 07.09.2016 को तथा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सीसी6316/2017 को दिनांक 03.04.2017 को खारिज कर दिया गया था।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह विधिक स्थिति आज की तिथि तक यथावत बनी हुई है, और याचिकाकर्ताओं जैसे अनेक कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय का हालिया आदेश भी प्रस्तुत किया है, जो 'राधे श्याम यादव व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य' (रिट

डब्ल्यूआरआईए संख्या 2810 वर्ष 2026

2

- ए संख्या 6753, 2023) के मामले में पारित किया गया था।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपर्युक्त विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।

5. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा; और यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया जाएगा और नए अभ्यावेदन की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करके, **घनश्याम तिवारी (सुप्रा)** के निर्णय के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

11 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।